



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 612/2025/01(120)/XXVII(8)/2025, CTR-14

देहरादून, 18 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की राज्य कर की दर को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो उन वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आता है, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाइ ऐश ईटें; फ्लाइ ऐश समुच्चय; फ्लाइ ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आज्ञा से,

डॉ० अहमद इकबाल,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 612/2025/01(120)/XXVII(8)/2025, CTR-14, dated September 18, 2025 for general information:

No. 612/2025/01(120)/XXVII(8)/2025, CTR-14

Dated Dehradun, September 18, 2025

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the rate of the state tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Uttarakhand Goods and Service Tax Act, 2017 (06 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

By Order,

Dr. AHMED IQBAL,
Additional Secretary.